न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–276/11 (जीसीएमएस नं. 2018/00133)

1. अशोक पुत्र रामू उर्फ रामूलाल उम्र 40 वर्ष, जाति मीना, निवासी ग्राम दांतली, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. मदनलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति खटीक, निवासी ग्राम मानोता तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. हरिनारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण, जाति खटीक, निवासी ग्राम मानोता, तहसील जमवागरामगढ, जिला जयपुर।
3. जगदीश नायक पुत्र भौरीलाल, जाति नायक, निवासी ग्राम मानोता, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
4. रामकिशन पुत्र घासी जाति बैरवा, निवासी ग्राम मानोता तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार ज़रिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 25.08.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर के आदेश दिनांक 18.06.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया जिसमें उक्त अपीलाधीन निर्णय बाला–बाला अवैध तरीके से मात्र तीन दिवस में ही बिना सभी पक्षकरों को नोटिस जारी किये ही पारित करवा लिया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है क्योंकि उक्त अपीलाधीन आदेश विधि विधान एवं पत्रावली के तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद रिकार्ड एवं स्वयं प्रार्थिगण के कथनों के विरूद्ध जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, प्रार्थीगण स्वयं ने अपने प्रार्थना पत्र संख्या 92/2018 के पैरा संख्या 2 की पंक्ति संख्या 3 व 4 में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि "अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमियॉ प्रार्थीगण की भूमि से लगवा चारो तरफ स्थित है लेकिन अप्रार्थीगण भूमियों की सीमा को लेकर लड़ाई झगड़ा करते है" उक्त इबारत से स्पष्ट है क अप्रार्थीगण जिसमें हाल अपीलान्ट भी शामिल है, की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 0.01 बिस्वा गै.मु. चाह तथा खसरा नम्बर 178 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा भूमि भी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

(प्रार्थीगण हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2) ने उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट को अप्रार्थी संख्या 3 के रूप में पक्षकार बनाया था परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अवैध प्रक्रिया अपनाकर तथा कैम्प का अनुचित लाभ उठाकर अपीलान्ट व जगदीश को नोटिस जारी होने के आदेश होने के बावजूद भी इनकी तामील करवाये बिना ही अवैध तरीके से मात्र तीन दिवस में अपीलाधीन आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विरूद्ध जाकर अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया है, जो प्रारम्भ से ही शून्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि पत्रावली पर मौजूद इस महत्वपूर्ण तथ्य पर भी गौर नही किया कि अन्य पक्षकरों की भूमि भी प्रार्थीगण की भूमि के लगवा स्थित है तथा मौके पर सीमाओं को लेकर गहरा विवाद है इस कारण सभी पक्षकरों को सुना जाना आवश्यक था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण के अनुचित प्रलोभन में आकर चार अप्रार्थीगण में से केवल मात्र एक अप्रार्थी को सुनकर ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जबकि अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी करने के आदेश स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने पारित कर रखे है तथा अपने ही आदेश की अनदेखी करके पारित किया गया है जो अवैध आदेश निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय इस महत्वपूर्ण तथ्य पर भी गौर नही किया कि मिन अपीलान्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 55 एवं 178 भी खसरा नम्बर 177 के लगवा ही स्थित है यदि एक पक्षकार के कहे अनुसार ही पत्थरगढी का आदेश पारित कर दिया गया तो अन्य पड़ौसी काश्तकारों को असुविधा या ऐतराज हो सकता है। उन्होने कथन किया है कि प्रार्थीगण अपीलाधीन आदेश की आड़ में वास्तविकता से अधिक भूमि पर कब्जा अवैध तरीके से करना चाहता है इस कारण प्रार्थीगण ने अवैध प्रक्रिया अपनाकर बाला–बाला अवैध आदेश पारित करवाया जो देखन मात्र से ही संदेहस्पद एवं अवैध कानूनी प्रतीत हो रहा है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.06.2018 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट ने महज न्यायालय को हर्जा खर्चा व समय बर्बाद करने के उद्देश्य से एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को परेशान करने की नियत से उक्त उनवानी अपील निराधार तथ्यों पर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश की है जो खारिज किये जाने योग्य है, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व अप्रार्थी संख्या 4 के मध्य किसी प्रकार की कोई दुरभी संधि नही है बल्कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को सुनकर आदेश दिनांक 18.06.2019 विधि सम्मत पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही है। उन्होने यह भी कथन किया है कि तहसीलदार जमवारामगढ के आदेश दिनांक 26.06.2018 प्रकरण संख्या 92/2018 निर्णय दिनांक 18.06.2018 की पालना में भू अभिलेख निरीक्षक नायला व हल्का पटवारी मानोता मौके पर जाकर पक्षकरान की उपस्थित व मौजूदगी में खसरा नम्बर 177 की सीमाज्ञान

संभागीय आयुक्त
जयपुर

कराकर पत्थरगढी की गई है, जो विधि सम्मत है, तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 खसरा नम्बर 177 रकबा 7 बीधा 2 बिस्वा वाके ग्राम मानोता पर ही काबिज है, पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक ने दिनांक 02.07.2018 को मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को खसरा नम्बर 177 का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी करवायी है जिसमें किसी अन्य खसरा नम्बर की जमीन नही है और ना ही रेस्पोडेन्ट सख्या 1 व 2 ने किसी अन्य खातेदारी की भूमि की सीमाज्ञान के आधार पर हथियाना चाहा है, और ना ही अवैध कब्जा करना चाहा है, और ना ही किसी प्रकार का कोई अवैध कब्जा किया है बल्कि अपीलान्ट ने उक्त अपील महज कायास के आधार पर व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की जमीन को हथियाने के उद्देश्य से न्यायालय श्रीमान् को मुगालत में रखकर उक्त अपील प्रस्तुत किया है जो खरिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रत्येक खातेदार को अपनी आराजी का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने के कानूनी अधिकार अधिनियम में दिये गये है तथा पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 177 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसका सीमाज्ञान दिनांक 21.05.2018 को किया गया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 177 ग्राम मानोता तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर पर किसी न्यायालय का स्थगन व मौका पर विवाद न हो तो उक्त पत्थरगढी करवाने के आदेश दिये गये है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ जिला जयपुर द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.06.2018 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ, जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.06.2018 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।